डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायाल सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई मुकाम–बांदीकुई

जज इजलास– नीतू करोल आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

उनवान– रामकेश बनाम किशोरी उर्फ रामकिशोर वगै0

दावा बाबत– उद्‌षोघणा एवं स्थी निषेधाज्ञा

मु.न. 59/2020 न्यायालय हाजा मे दर्ज 31/2023

आदेश है कि वादी वाद दावा उद्‌घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडा की जमाबन्दी खाता संख्या नया 19 पुराना 15 के खसरा नम्बर 281 रकबा 0.63 हैक्टे., ख.नं. 282 रकबा 0.30 हैक्टे., ख.नं. 283 रकबा 0.28 हैक्टे., ख.नं. 284 रकबा 0.36 हैक्टे., ख.नं. 285 रकबा 0.36 हैक्टे., ख.नं. 286 रकबा 0.37 हैक्टे., ख.नं. 286/845 रकबा 0.01 हैक्टे., ख.नं. 287 रकबा 0.04 हैक्टे., ख. नं. 288 रकबा 0.50 हैक्टे. ख.नं. 289 रकबा 0.28 हैक्टे., ख.नं. 290 रकबा 0.67 हैक्टे., कुल किता 11 कुल रकबा 3.80 हैक्टेयर स्थित हैं में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 किशोरीलाल उर्फ रामकिशोर पुत्र गंगाधर का दर्ज हिस्सा 3/4 एवं खाता संख्या नया 186 पुराना 182 के ख.नं. 275 रकबा 0.31 हैक्टे. मे दर्ज हिस्सा 2/31 व खाता संख्या नया 185 पुराना 181 के ख.नं. 274 रकबा 0.36 हैक्टे में दर्ज हिस्सा 1/18 में से प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 तथा एक पुत्री के हिस्से को छोडकर वादी को उसके पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।तहरीर जारी होकर प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निज...............मुबलिग...बाबत्.................................

..........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 07 सन् 2025 को जारी की गई।

(नीतू करोल)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
बांदीकुई

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत.....................

ओहदा.....................

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

मु.न. 59 / 2020
न्यायालय हाजा मे दर्ज 31 / 2023
निर्णय दिनांक 11.07.2025

उनवान

1. रामकेश मीना पुत्र किशोरीलाल उर्फ रामकिशोर जाति मीना निवासी खेडा तहसील बसवा जिला दौसा।

—: वादी

बनाम

1. किशोरीलाल उर्फ रामकिशोर पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी खेडा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. हरकेश
3. राजेन्द्र } पुत्रान किशोरीलाल उर्फ रामकिशोर
4. रमेश चन्द्र

समस्त जातियान मीना निवासी खेडा तहसील बसवा जिला दौसा।

—: प्रतिवादीगण

5. तहसीलदार बसवा हाल बांदीकुई जरिये लैण्ड होल्डर तहसील बसवा हाल बांदीकुई।
6. उपपंजियक अधिकारी बडियालकलां जिला दौसा।

—: तरंतीबी प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1 वादी अधिवक्ता श्री गोपाल बन्दु एडवोकेर्ट
2. प्रतिवादी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा एडवोकेट

निर्णय

दिनांक— 11.07.2025

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जर्ये वकील न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुआ जिसका संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार है। भूमि भूमि खाता सं. नया 19 पुराना 15 के खसरा नम्बर 281 रकबा 0.63 हैक्टे., ख.नं. 282 रकबा 0.30 हैक्टे., ख.नं. 283 रकबा 0.28 हैक्टे., ख.नं. 284 रकबा 0.36 हैक्टे, ख.नं. 285 रकबा 0.36 हैक्टे., ख.नं. 286 रकबा 0.37 हैक्टे., ख.नं.

सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

286/845 रकबा 0.01 हैक्टे., ख.नं. 287 रकबा 0.04 हैक्टे., ख. नं. 288 रकबा 0.50 हैक्टे. ख.नं. 289 रकबा 0.28 हैक्टे., ख.नं. 290 रकबा 0.67 हैक्टे., कुल किता 11 कुल रकबा 3.80 हैक्टेयर स्थित हैं एवं खाता संख्या नया 186 पुराना 182 के ख.नं. 275 रकबा 0.31 हैक्टे., वाके रामा खेडा तहसील बसवा व खाता संख्या नया 185 पुराना 181 के ख.नं. 274 रकबा 0.36 हैक्टे वाके रामा खेडा तहसील बसवा जिला में स्थित है।

भूमि मुतदाविया पैतृक सम्पत्ति जिसमें खाता सख्या नया 19 में प्रतिवादी सं. 01 का 1/4 हिस्सा जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 में अंकित है व खाता संख्या नया 186 में प्रतिवादी सं. 01 का हिस्सा 2/31 जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 में अंकित है व खाता संख्या नया 185 में प्रतिवादी सं. 01 का हिस्सा 1/18 जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 में अंकित है। वादी पैतृक सम्पत्ति में वारिसान के आधार पर उक्त भूमि मुतदाविया मे अपने हिस्से की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी एवं प्रतिवादीगण का सिजरा खानदान निम्न लिखित है।

भोल्या (फौत)

↓

गंगाधर (फौत) | प्रसादी (फौत लाऔलाद)

↓

किशोरीलाल उर्फ रामकिशोर (प्रति. सं. 01)

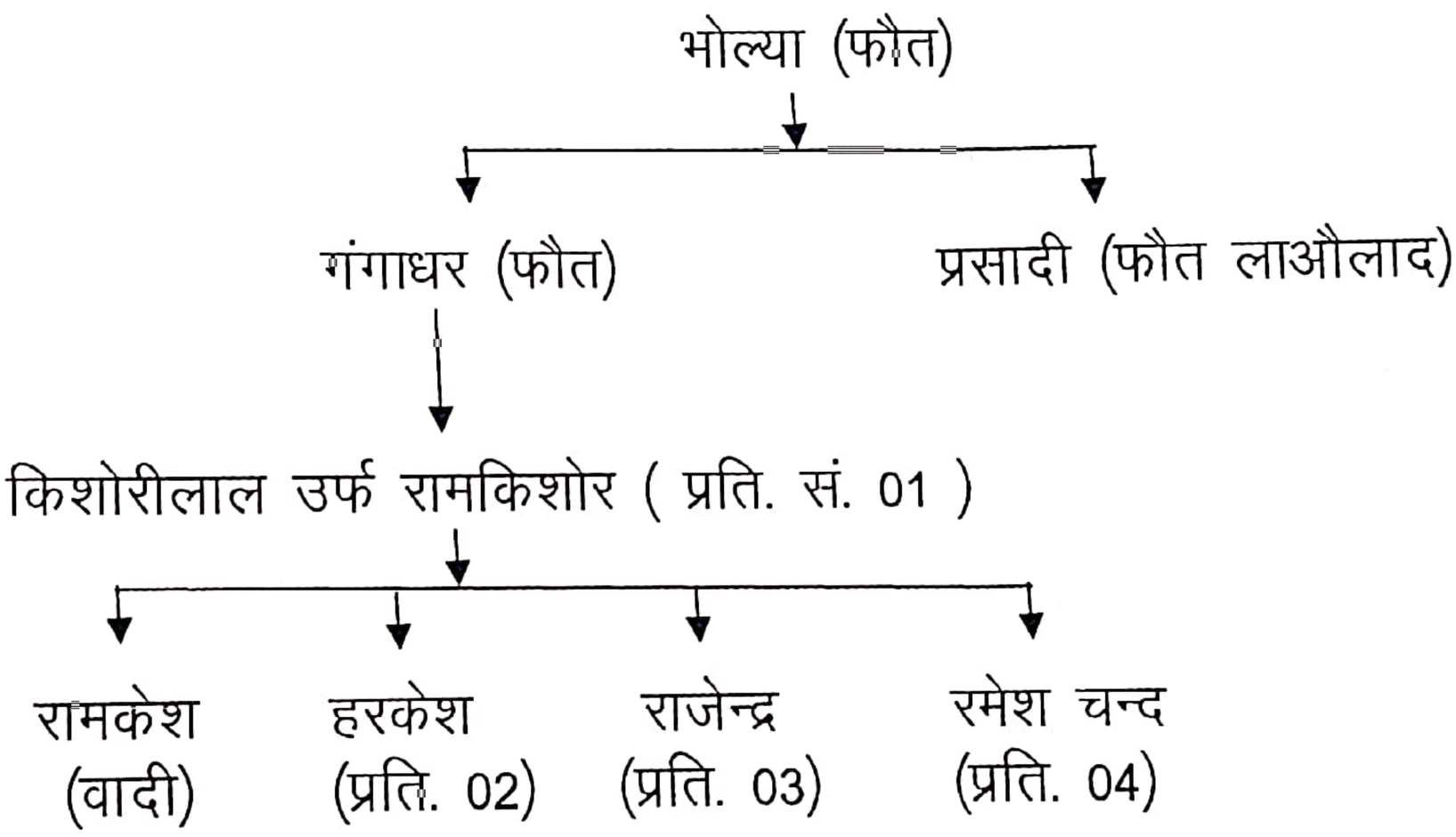

↓

रामकेश (वादी) | हरकेश (प्रति. 02) | राजेन्द्र (प्रति. 03) | रमेश चन्द (प्रति. 04)

भूमि मुतदाविया पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें खातेदार प्रसादी पुत्र भोल्या का खाता संख्या नया 19 में 1/2 हिस्सा जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 में अंकित है व धापा पत्नी गंगाधर का खाता संख्या नया 19 में हिस्सा 1/4 जगाबन्दी संवत 2076 से 2079 में अंकित है। प्रसादी पुत्र भोल्या लाऔलाद फौत हो चुका है। व धापा पत्नी गंगाधर भी लाऔलाद फौत हो चुकी है। इसलिए उक्त भूमि मुतदाविया में वादी सिजरा खानदान के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में अपना हिस्सा 1/5 वां की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी सं. 01 प्रतिवादी सं. 02 लगायत 04 के बहकावे आकर उक्त भूमि मुतदाविया मे अपना सम्पूर्ण हिस्सा अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन बय कर वादी से उक्त भूमि मुतदाविया से बेदखल करने पर आमदा है। जब वादी ने उक्त भूमि मुतदाविया में पैतृक सम्पत्ति में वारिसान के आधार पर अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 से उद्घोषणा कराने की कही तो प्रतिवादी संख्या 01 साफ इन्कार हो गया और वादी को ऐलानिया धमकी दी कि मैं और प्रतिवादी सं. 02 लगा. 04 मिलकर उक्त भूमि मुतदाविया में प्रतिवादी का सम्पूर्ण हिस्सा किसी अन्य दीगर व्यक्ति का रहन, बय कर तुमको उक्त भूमि मुतदाविया से बेदखल करके रहेगें। प्रतिवादी सं. 01 प्रतिवादी सं. 02 लगा. 04 के बहकावे में आकर उक्त भूमि मुतदाविया में पैतृक सम्पत्ति में वारिसान के आधार पर वादी का हिस्सा दर्ज

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
... टोंक)

कराने से साफ इन्कार हो गया और कहा कि मै उक्त भूमि मुतदाविया को किसी दीगर सख्स को रहन बय कर अपनी खातेदारी की आड में उक्त भूमि मुतदाविया को बेचान करके रहूँगा एवं वादी को उक्त भूमि से बेदखल करके रहूँगा। इसलिए वादी को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

भूमि खाता सं. नया 19 पुराना 15 के खसरा नम्बर 281 रकबा 0.63 हैक्टे., ख.नं. 282 रकबा 0.30 हैक्टे., ख.नं. 283 रकबा 0.28 हैक्टे., ख.नं. 284 रकबा 0.36 हैक्टे., ख.नं. 285 रकबा 0.36 हैक्टे., ख.नं. 286 रकबा 0.37 हैक्टे., ख.नं. 286/845 रकबा 0.01 हैक्टे., ख.नं. 287 रकबा 0.04 हैक्टे., ख. नं. 288 रकबा 0.50 हैक्टे. ख.नं. 289 रकबा 0.28 हैक्टे., ख.नं. 290 रकबा 0.67 हैक्टे., कुल किता 11 कुल रकबा 3.80 हैक्टेयर स्थित हैं एवं खाता संख्या नया 186 पुराना 182 के ख.नं. 275 रकबा 0.31 हैक्टे., वाके रामा खेडा तहसील बसवा व खाता संख्या नया 185 पुराना 181 के ख.नं. 274 रकबा 0.36 हैक्टे वाके रामा खेडा तहसील बसवा जिला में स्थित है, में वादी को 1/5 हिस्से की पैतृक सम्पत्ति के आधार पर उक्त भूमि मुतदाविया में उद्घोषणा खातेदारी फरमायी जावें।

प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 01 लगा. 04 उक्त भूमि मुतदाविया को अन्य दीगर सख्स को रहन बय करने से एवं प्रतिवादीगण सं. 01 लगा. 04 उक्त भूमि मुतदाविया में वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने से वादी के उपयोग–उपभोग में मजाहमत पैदा करने से व किसी दीगर सख्स को रहन, बय अथवा हस्तान्तरित करने से वादी को बेदखल करने से स्वयं, नौकरो, एजेन्टो, घरवालो, मददगारों से बाज व मुमतन्हा रहे व प्रतिवादी सं. 05, 06 प्रतिवादी सं. 01 द्वारा पेश किये गये उक्त भूमि मुतदाविया के सम्बन्ध में रहन, बय व हस्तान्तरण के दस्तावेजों को पंजीकृत करने से बाज व मुमतन्हा रहें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से अनिल कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी संख्या एक व दो की और से जवाब दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया:–

वाद पत्र का पैरा नम्बर एक जिस प्रकार लिखा गया है जमाबन्दी के अनुसार होने के कारण सही है व स्वीकार है । वाद पत्र का जिम्मन नम्बर 2 भी जमाबन्दी के आधार पर दर्ज होने के कारण सही है स्वीकार है। किन्तु वादी का जमाबन्दी मे किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है इसलिये वादी को दावा करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। वाद पत्र का पैरा नम्बर 3 जिस प्रकार दर्शाया गया है गलत है अस्वीकार है। मृतक गंगाधर के एक पुत्र प्रतिवादी नम्बर किशोरीलाल उर्फ रामकिशोर एवम् दो पुत्री जिनके नाम क्रमशः मोहरबाई, रामौती है इस प्रकार गंगाधर जी के तीन संताने है जिसमें से एक संतान पुत्र किशोरीलाल उर्फ रामकिशोर को सिजरा खानदान में दर्शाया है बाकी दो संताने, दोनों पुत्रियां मोहरबाई व रामौती को सिजरा खानदान में नहीं दर्शाया है जबकि जमाबन्दी अनुसार दोनों पुत्रिया मोहरबाई व रामौती राजस्व रिकोर्ड में खातेदार व मालिक हैं व उनका जमाबन्दी अनुसार हिस्सा है इसलिये वादी द्वारा किया गया मुकदमा खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना चलने योग्य नहीं है सरसरी तौर पर ही दावा खारिज किये जाने योग्य है। एवम् किशोरीलाल के 4 पुत्र व एक पुत्री है जिसमें से सिजरा खानदान मे चार पुत्रों को दर्शाया गया है एक पुत्री गोरन्ती बाई को सिजरा खानदान में नहीं दर्शाया गया है जबकि गोरन्ती बाई को भी सिजरा खानदान में दर्शाया जाना आवश्यक था व पक्षकार

सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

बनाया जाना भी आवश्यक था। जबकि वादी द्वारा आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है । वाद पत्र का जिम्मन नम्बर 4 जिस पर लिखा गया है गलत है अस्वीकार है। वादी का 1/5 वॉ हिस्सा किसी प्रकार से भी नहीं बनता है क्योकि प्रतिवादी नम्वर एक अभी तक जिन्दा है एवम् उसकी दोनों बहिने मोहरबाई व रामौती भी अभी जिन्दा है जिनका हिस्सा निम्न प्रकार है किशोरीलाल का हिस्सा 1/2, मोहरबाई का हिस्सा 1/4, रामौती का हिस्सा 1/4 है जमाबन्दी अनुसार वादी का जमाबन्दी मे कोई हक व अधिकार व हिस्सा नहीं है इसलिये वादी का वाद चलने योग्य नहीं है खारिज किये जाने योग्य है। बाकी तथ्य जिस प्रकार लिखे गये है असत्य है स्वीकार नहीं है । वाद पत्र का पैरा नम्बर 5 जिस प्रकार लिखा गया है गलत है अस्वीकार है। प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 सरकारी नौकर है जो कि दिनांक 23/06/2020 को अपनी ड्यूटी पर कार्यरत थे प्रतिवादी नम्बर 2 हरकेश मीना अपनी ड्यूटी पर आर्मी में ड्राइवर के पद पर भूटान में कार्यरत था एवम प्रतिवादी नम्बर 3 राजेन्द्र दिनाँक 23/6/2020 को अपनी डयूटी पर टैक्नीशियन के पद पर रेलवे में बैंगलोर में कार्यरत था इसलिये प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 दिनांक 23/6/2020 को गाँव खेडा में उपस्थित ही नहीं थे और प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई झगडा भी नहीं किया है। वादी द्वारा जिस प्रकार लिखा गया गया है गलत, है मनगढन्त है व अस्वीकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई झगडा नहीं किया गया है और वादी स्वयम् भी दिनांक 23/6/2020 को गाँव खेडा में फसल बोने के लिये मौके पर नहीं आया था इसलिये वादी के साथ प्रतिवादीगण का कोई झगडा फिसाद नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या एक लगायत 4 का उक्त भूमि को किसी भी दीगर शख्स को रहन, बय करने का कोई विचार नहीं है वादी द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा नम्बर चार में उक्त भूमि को बेचने बाबत जो लिखा गया है गलत है अस्वीकार है । वाद पत्र का पैरा नम्बर 6 जिस प्रकार लिखा गया है गलत है अस्वीकार है। दिनांक 23/6/2020 को वादी व प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई झगडा नहीं हुआ इसलिये कोई वाद कारण मी उत्तपन्न नहीं हुआ है । वाद पत्र का पैरा नम्बर 7 जिस प्रकार लिखा गया है गलत है अस्वीकार है। वादी का जमाबन्दी अनुसार जमाबन्दी मे किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है इसलिये वादी का वाद न्यायालय श्रीमान् के यहां चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र का जिम्मन नम्बर 8 कानूनी है व जवाब मोहताज नहीं है। वाद पत्र मे चाही गयी इस्तदुआ दादरसी, अ, ब, जिस प्रकार लिखी गयी है वादी किसी भी प्रकार की कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी का जमाबन्दी मे कोई हिस्सा नहीं इसलिये वादी कोई उदघोषणा करवाने अधिकारी नहीं है एवम् वादी प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की कोई स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का भी अधिकारी नहीं है। वाद पत्र में चाही गयी इस्तदुआ दादरसीस व वादी के हक में खारिज फरमायी जाये। व अन्य अनुतोष जो प्रतिवादीगण के हक मे हो अता फरमाया जावे । अतिरिक्त कथन प्रतिवादी संख्या एक किशोरीलाल उर्फ रामकिशोर एवम् उनकी पत्नि जानकी देवी द्वारा न्यायालय श्रीमान उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बांदीकुई के यहां दिनांक 17/8/2016 को एक प्रार्थना पत्र बाबत वृद्धावस्था में पुत्रों से भरण पोषण वास्ते न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके मुकदमा नम्बर 5/2016 है जिसमें दिनांक 22/11/2017 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रार्थी किशोरी लाल व उनकी पत्नि जानकी देवी को सरकारी सेवा में कार्यरत पुत्रों से एक एक हजार रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता दिये जाने के आदेश दिये थे किन्तु वादी सरकारी सेवामे होने के

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपाल
उप जिला मजिस्ट्रेट
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

बावजूद भी प्रार्थीगण को भरण पोषण राशि अदा नहीं कर रहा है । आज दिन तक वादी रामकेश द्वारा प्रार्थीगण को एक भी रूपया अदा नहीं किया गया है इसलिये वादी को यह आदेश दिया जावे कि अब तक की बकाया सम्पूर्ण भरण पोषण राशि प्रार्थीगण को अदा करे जिससे प्रार्थीगण अपना जीवन बसर व भरण पोषण कर सके। जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3,4 की दिनांक 18.7.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण में निम्नांकित तनकीयात कायम की गईः—

तनकी संख्या 1 आया वादी वाद पत्र में वर्णित भूमि मुतदाविया में पैतृक सम्पत्ति आधार पर में वादी 1/5 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी.।

तनकी संख्या 2 आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। वादी.....।

तनकी संख्या 4 आया वादी का 1/5 वां हिस्सा किसी प्रकार से नही बनता है क्योकि प्रतिवादी नम्बर एक अभि तक जिन्दा है एवं उसकी दोनो बहिने अभि जिन्दा है। जमाबन्दी अनुसार वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादी 1 व 2

तनकी संख्या 5 अनुतोषः—

उक्त तनकीयात कायम होने के बाद प्रकरण वादी साक्ष्य पर नियत किया गया। वादी की ओर से स्वंय रामकेश का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ। जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रकरण में वादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत किया गया। प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नही किया गया।प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण बहस पर नियत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता का तर्क रहा है कि भूमि मुतदाविया पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें खातेदार प्रसादी पुत्र भोल्या का खाता संख्या नया 19 में 1/2 हिस्सा जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 में अंकित है व धापा पत्नी गंगाधर का खाता संख्या नया 19 में हिस्सा 1/4 जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 में अंकित है। प्रसादी पुत्र भोल्या ला औलाद फौत हो चुका है व धापा पत्नी गंगाधर भी लाऔलाद फौत हो चुकी है। इसलिए उक्त भूमि मुतदाविया में वादी सिजरा खानदान के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में अपना हिस्सा 1/5 वां की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। दावा स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपना जवाब दावे को दोहराते हुये दावा खारिज करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण मे प्रकरण में दर्ज तनकी संख्या 3 आया वादिया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी ना तो दावे में ना ही जवाब दावे में इसलिये उक्त तनकी सहवन से प्रिन्टिंग मिस्टेक से दर्ज किया जाना प्रतीत होती है इसलिये उक्त तनकी को डिलिट की जाकर प्रकरण तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैः—

तनकी संख्या 1 आया वादी वाद पत्र में वर्णित भूमि मुतदाविया में पैतृक सम्पत्ति आधार पर में वादी 1/5 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है वादी द्वारा वाद की ताईद में प्रदर्श 1 ग्राम खेडा की जमाबन्दी संवत 2076—2079 खाता संख्या नया 19 पुराना 15, प्रदर्श—2 खाता संख्या नया 186 पुराना 182, प्रदर्श 3 खाता संख्या नया 185 पुराना 181, प्रदर्श 4 संवत

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदाकुई

Scanned with OKEN Scanner

2052 से 2071 खतौनी पेश किया किये गये है। प्रदर्श 4 खतौनी संवत 2052–2071 में गंगाधर, प्रभाती पिता भोल्या का नाम दर्ज, सजरा खानदान अनुसार भोल्या के दो पुत्र गंगाधर , प्रसादी (ला ओलाद फौत) गंगाधर का पुत्र वादी का पिता किशोरी लाल उर्फ रामकिशोर है। वादग्रस्त भूमि गंगाधर से वादी के पिता के नाम आयी है।

प्रतिवादीगण का कथन है कि मृतक गंगाधर के एक पुत्र प्रतिवादी नम्बर किशोरीलाल उर्फ रामकिशोर एवम् दो पुत्री जिनके नाम क्रमशः मोहरबाई, रामौती है इस प्रकार गंगाधर जी के तीन संताने है जिसमें से एक संतान पुत्र किशोरीलाल उर्फ रामकिशोर को सिजरा खानदान में दर्शाया है बाकी दो संताने, दोनों पुत्रियां मोहरबाई व रामौती को सिजरा खानदान में नहीं दर्शाया है जबकि जमाबन्दी अनुसार दोनों पुत्रिया मोहरबाई व रामौती राजस्व रिकोर्ड में खातेदार व मालिक हैं व उनका जमाबन्दी अनुसार हिस्सा है इसलिये वादी द्वारा किया गया मुकदमा खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना चलने योग्य नहीं है सरसरी तौर पर ही दावा खारिज किये जाने योग्य है एवम् किशोरीलाल के 4 पुत्र व एक पुत्री है जिसमें से सिजरा खानदान मे चार पुत्रों को दर्शाया गया है एक पुत्री गोरन्ती बाई को सिजरा खानदान में नहीं दर्शाया गया है जबकि गोरन्ती बाई को भी सिजरा खानदान में दर्शाया जाना आवश्यक था व पक्षकार बनाया जाना भी आवश्यक था। जबकि वादी द्वारा आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। वादी का 1/5 वॉ हिस्सा किसी प्रकार से भी नहीं बनता है क्योकि प्रतिवादी नम्बर एक अभी तक जिन्दा है एवम् उसकी दोनों बहिने मोहरबाई व रामौती भी अभी जिन्दा है जिनका हिस्सा निम्न प्रकार है किशोरीलाल का हिस्सा 1/2, मोहरबाई का हिस्सा 1/4, रामौती का हिस्सा 1/4 है जमाबन्दी अनुसार वादी का जमाबन्दी मे कोई हक व अधिकार व हिस्सा नहीं है इसलिये वादी का वाद चलने योग्य नहीं है खारिज किये जाने योग्य है। उक्त कथन के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। प्रदर्श 4 खतौनी संवत 2052–2071 में गंगाधर, प्रभाती पिता भोल्या का नाम दर्ज, सजरा खानदान अनुसार भोल्या के दो पुत्र गंगाधर , प्रसादी (ला ओलाद फौत) गंगाधर का पुत्र वादी का पिता किशोरी लाल उर्फ रामकिशोर है। वादग्रस्त भूमि गंगाधर से वादी के पिता एवं उसकी दो बहिनो के नाम आयी है। जिससे वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 किशोरी लाल उर्फ रामकिशोर पुत्र गंगाधर खाता संख्या नया 19 पुराना 15 में हिस्सा 3/4, खाता संख्या नया 185 पुराना 181 हिस्सा 1/18, खाता संख्या नया 186 पुराना 182 में 2/31 हिस्सा दर्ज है जो पैतृक भूमि की श्रेणी में आता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। इस संबंध में राजस्व (ग्रुप–6) ने दिनांक 8.01.20 को निर्देश भी जारी किये हुये है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनों को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवन काल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ–साथ पुत्र/पुत्री भी सह– कृषक होते है चाहे राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं भी हो इसलिये पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवन काल में काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। यदि पैतृक के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नही हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन कराया जा सकता है। प्रकरण में वादी द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में 1/5 हिस्से की खातेदारी चाही गई है। वादग्रस्त भूमि में अन्य खातेदारना भी दर्ज है। वादी को केवल उसके पिता के हिस्से मे दर्ज भूमि में से ही अधिकार दिये जा सकते है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 किशोरी लाल उर्फ रामकिशोर पुत्र गंगाधर खाता संख्या नया 19 पुराना 15 में हिस्सा 3/4, खाता संख्या नया 185 पुराना 181 हिस्सा 1/18, खाता संख्या नया 186 पुराना 182 में 2/31 हिस्सा दर्ज है जो पैतृक भूमि की श्रेणी में आता है। वाद मे वादी द्वारा 1/5 हिस्से की खातेदारी चाही गई है परन्तु प्रतिवादीगण के कथन अनुसार किशोरी लाल उर्फ रामकिशोर के चार पुत्रो के अलावा एक पुत्री भी है जिसको वादी द्वारा जिरह में भी एडमिट किया गया है। इसलिये वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में वादी का 1/5 हिस्सा नही होकर 1/6 हिस्सा बनता है। उक्त भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 तथा एक पुत्री के हिस्से को छोडकर वादी को उसके हिस्सा 1/6 हिस्से की उद्घोषणा की जा सकती है। उक्त तनकी को आंशिक रूप से साबित करने में सफल रहे है। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 2 आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर तनकी संख्या 1 के विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि शामलाती भूमि है। शामलाती भूमि में किसी खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। इसलिये तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में तय किया जाना उचित नही है।

तनकी संख्या 4 आया वादी का 1/5 वां हिस्सा किसी प्रकार से नही बनता है क्योकि प्रतिवादी नम्बर एक अभी तक जिन्दा है एवं उसकी दोनो बहिने अभि जिन्दा है। जमाबन्दी अनुसार वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नही है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी 1 व 2 जिसके संबंध में उक्त प्रतिवादीगण द्वारा कोई लिखित एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किया गया है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजो के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादी को केवल उसके पिता के हिस्से की भूमि में हक दिया जा सकता है। अन्य खातेदारान की के हिस्से में से हक नही दिया जा सकता है। तनकी संख्या 1 के विवेचन के आधार पर वादी उसके पिता के हिस्से में से 1/6 हिस्सा बनता है। इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय नही की जाकर आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 5 अनुतोषः– प्रकरण मे दर्ज तनकी संख्या 3 आया वादिया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी ना तो दावे में ना ही जवाब दावे में इसलिये उक्त तनकी सहवन से प्रिन्टिग मिस्टेक से दर्ज किया जाना प्रतीत होती है इसलिये उक्त तनकी को डिलीट की जाकर तनकी संख्या 1,2,4 का विवेचन किया गया जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में उक्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 तथा एक पुत्री के हिस्से को छोडकर वादी का उसके पिता के हिस्से की भूमि में 1/6 हिस्सा बनता है जिसकी उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि वादी वाद दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडा की जमाबन्दी खाता संख्या नया 19 पुराना 15 के खसरा नम्बर 281 रकबा 0.63 हैक्टे., ख.नं. 282 रकबा 0.30 हैक्टे., ख.नं. 283 रकबा 0.28 हैक्टे., ख.नं. 284 रकबा 0.36 हैक्टे., ख.नं. 285 रकबा 0.36 हैक्टे., ख.नं. 286 रकबा 0.37 हैक्टे., ख.नं. 286/845 रकबा 0.01 हैक्टे., ख.नं. 287 रकबा 0.04 हैक्टे., ख. नं. 288 रकबा 0.50 हैक्टे. ख.नं. 289 रकबा 0.28 हैक्टे., ख.नं. 290 रकबा 0.67 हैक्टे., कुल किता 11 कुल रकबा 3.80 हैक्टेयर स्थित हैं में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 किशोरीलाल उर्फ रामकिशोर पुत्र गंगाधर का दर्ज हिस्सा 3/4 एवं खाता संख्या नया 186 पुराना 182 के ख.नं. 275 रकबा 0.31 हैक्टे. मे दर्ज हिस्सा 2/31 व खाता संख्या नया 185 पुराना 181 के ख.नं. 274 रकबा 0.36 हैक्टे में दर्ज हिस्सा 1/18 में से प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 तथा एक पुत्री के हिस्से को छोडकर वादी को उसके पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री एवं तहरीर जारी होकर प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 11.07.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

(नीतू कुमारी)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुक० 59/2020 (31/2023) धारा 54 [illegible]	
	9/7/25 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान अनुपस्थित। वास्ते आदेश दिनांक 11/7/25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई	
	11/7/25 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान अनुपस्थित उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र एवं पत्रावली का अवलोकन करने से वादी [illegible] 3 डिक्री की जाकर धारा [illegible] रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के [illegible] हिस्से से [illegible] वादी को 1/6 हिस्से का अधिकार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] पत्रावली [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)	